15

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग
7310, Food Building, Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan
Tel. No. 0141-2385660 Email :- dsmaraj@gmail.com

क्रमांक प. 3(11)अल्प.वक्फ/2017/RK/00027 जयपुर, दिनांक : 21.01.2020

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना

(मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना)

–:दिशा निर्देश:–

1. **प्रस्तावना :–**

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य में संचालित मदरसों का आधारभूत संरचना का विकास करना है। जिसके माध्यम से मदरसे में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जा सके। मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की जागृति लाकर अधिक से अधिक छात्र–छात्राओं में अध्ययन के प्रति रुची जागृत कर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जा सके। इस योजना के तहत मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने हेतु आधारभूत संरचना का विकास किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार भौतिक सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जाएगी।

2. **परिभाषा :–**

A. इस योजना में वर्णित निम्न शब्दों का अर्थ निम्नानुसार होगा :–

(i) बोर्ड का आशय "राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर" से है।
(ii) अध्यक्ष का आशय "अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड" से है।
(iii) राज्य सरकार का आशय "राजस्थान सरकार" से है।
(iv) मदरसे का आशय "राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसे" से है।
(v) योजना का आशय "मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना" वर्ष 2019–20 से है।
(vi) अनुदान का आशय 'बोर्ड द्वारा मदरसे को उपलब्ध करवाई गई मौद्रिक/भौतिक सामग्री सहायता' से है।

B. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न ऐजेन्सियों को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है :–

(i) योजना क्रियान्वयन ऐजेन्सी – राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
(ii) योजना लाभान्वित ऐजेन्सी – राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसा।
(iii) योजनान्तर्गत कार्यकारी ऐजेन्सी – नगरीय निकाय/पी.डब्लयू.डी./समसा/पंचायती राज संस्थाए एवं निमार्ण कार्य हेतु अन्य राजकीय संस्थाए होगी।
(iv) योजना की मोनटरिंग ऐजेन्सी – सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड, सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मदरसे के सदर/सचिव होंगें।

3. **उद्देश्य :–**

इस योजना को संचालित करने के निम्न उद्देश्य है –

(i) मदरसों की आधारभूत संरचना का विकास करना जैसे कक्षा–कक्ष, पेयजल सुविधा, शौचालय एवं किचन शेड का निर्माण।
(ii) मदरसों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को अध्ययन हेतु भौतिक सुविधाऐं उपलब्ध कराना जैसे कम्प्यूटर, यू.पी.एस., प्रिन्टर, स्मार्ट क्लास रूम, ड्यूल डेस्क, स्टाफ फर्नीचर, अलमीरा, लाईब्रेरी बुक्स, टीचर्स लर्निंग मेटेरियल, ई–कन्टेन्ट एवं कम्प्यूटर एडेड लर्निंग उपकरण।

Scanned by CamScanner

4. आवेदन की प्रक्रिया

(i) योजना का लाभ लेने हेतु मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में वर्णित सभी दस्तावेजों के साथ (परिशिष्ठ–1) जो निम्नानुसार है:–

1. मदरसे के स्वामित्व का विवरण जिसमें उपपंजीयक/तहसीलदार से पजीकृत दस्तावेज।
2. मदरसे का ब्लू प्रिन्ट जो सदर/सचिव से हस्ताक्षर युक्त हो एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उसे प्रमाणित करें। वर्तमान में निर्माण कार्य करवाये जाने वाले भाग को माप सहित अलग रंग में दर्शाना है।
3. कार्यकारी ऐजेन्सी की सहमति एवं तकमीना तथा तकनिकी रिपोर्ट संलग्न करें।
4. छात्र संख्या कक्षावार संलग्न करें।

(ii) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पत्रावली प्रस्तुत करेगें।

(iii) जिला अल्पसख्यक कल्याण अधिकारी सभी आवेदन पत्रों को अपनी अभिशंषा के साथ प्राप्त होने के 15 दिवस में कार्यालय राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर को प्रेषित करेगें।

5. चयन प्रक्रिया

(i) योजना के अन्तर्गत मदरसों के चयन के लिए अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग से उपनिदेशक स्तर के अधिकारी, अकादमिक अधिकारी एवं लेखाधिकारी राजस्थान मदरसा बोर्ड **सदस्य होंगें।**

(ii) चयन समिति द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच करने के पश्चात पात्र मदरसों का चयन 30 दिवस में किया जायेगा।

(iii) चयन समिति द्वारा चयनित मदरसों की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्रावली 15 दिवस में राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

(iv) सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

6. चयन के मापदण्ड

(i) निर्माण कार्य हेतु "ए" श्रेणी के मदरसों का चयन किया जायेगा एवं निर्माण की स्वीकृत कुल राशि का 90 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि मदरसा प्रबंधन समिति जन सहयोग से प्राप्त कर वहन करेगी।

(ii) भौतिक सामग्री हेतु योग्य मदरसों का चयन किया जायेगा।

(iii) योजना में प्रत्येक जिले में एक मदरसे का चयन सुनिश्चित किया जयेगा एवं उसके पश्चात् प्रत्येक जिले से मदरसों की अनुपातिक संख्या के आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले मदरसों का चयन किया जायेगा।

(iv) चयन समिति द्वारा स्मार्ट क्लास रुम हेतु चयनित, भवन विहीन अधिकतम नामांकन वाले मदरसों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

7. योजना का प्रचार प्रसार

मदरसा बोर्ड द्वारा उक्त योजना की विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसकी सूचना मदरसा बोर्ड एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवायी जायेगी। प्रत्येक जिले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा योजना का प्रचार–प्रसार प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया में अपने स्तर पर करवाया जायेगा। राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा भी योजना का अपेक्षित प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

8. अनुदान की शर्तें

(i) योजना में प्राथमिक स्तर के मदरसे हेतु अधिकतम राशि 15.00/–लाख रूपये एवं उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसे हेतु अधिकतम राशि 25.00/– लाख रूपये का कार्य स्वीकृत किया जा सकेगा।

(ii) योजना में प्रत्येक मदरसे में कक्षा–कक्ष, शौचालय एवं किचन शेड की माप का निर्धारण राजकीय विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षा विभाग के मापदण्ड/दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। किसी मदरसे में उक्त मापदण्ड के अनुसार पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी स्थिति में मदरसा प्रबन्धन समिति एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण किया जाकर संयुक्त मौका रिपोर्ट तैयार की जावेगी एवं तदअनुसार उक्त मापदण्डों में परिवर्तन प्रस्तावित कर सकेंगे।

(iii) योजना में निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(iv) भौतिक सामग्री हेतु देय अनुदान में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा आवश्यक सामग्री क्रय कर मदरसों को उपलब्ध करवाई जायेगी।

(v) निर्माण कार्य हेतु देय अनुदान में कार्यकारी एजेन्सी को राशि का हस्तान्तरण किया जायेगा।

(vi) चयनित मदरसे के द्वारा कुल स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत चयन होने के पश्चात दो माह के भीतर राजस्थान मदरसा बोर्ड के खाते में जमा करवानी होगी।

(vii) मदरसा प्रबन्धन समिति द्वारा उपरोक्त कार्यकारी एजेंसियों में से सुलभता के आधार पर संबंधित कार्यकारी ऐजेंसी से सहमति प्राप्त करके उसकी प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। इस हेतु आवश्यकता होने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का सहयोग लिया जा सकेगा।

(viii) कार्यकारी ऐजेंसी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृत राशि का हस्तान्तरण तीन किश्तों (50:40:10) में कार्यकारी एजेन्सी को किया जायेगा। कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त द्वितीय किश्त एवं स्वीकृत कार्य पूर्ण करने के पश्चात समस्त कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त तृतीय किश्त जारी की जायेगी।

(ix) कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य की नियमित देख–रेख की जायेगी एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

(x) दिशा–निर्देशों से सम्बन्धित सभी स्पष्टीकरण देने हेतु सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड सक्षम होंगें।

(xi) संबंधित मदरसे को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से प्रमाणित हो की गत पांच वर्ष में किसी भी योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु अनुदान राशि स्वीकृत नहीं हुई है।

(मूल चन्द)
संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner

राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना

(मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना)

आवेदन पत्र

1	मदरसे का नाम व पता	
2	मदरसा बोर्ड में मदरसे का पंजीयन संख्या	
3	बोर्ड में पंजीयन का स्तर	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक
4	यदि मदरसा किसी अन्य योजना के तहत लाभ ले रहा है तो उसका नाम एवं विवरण	
5	यदि बोर्ड द्वारा पूर्व में मदरसे को आधुनिकीकरण योजना में निर्माण हेतु राशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण	
6	मदरसा सदर का नाम एवं मोबाईल नं.	
7	मदरसा सचिव का नाम एवं मोबाईल नं.	
8	मदरसे में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की संख्या	
	कक्षा 1 से 5 तक	
	कक्षा 6 से 8 तक	
9	मदरसा जिस भूमि पर निर्मित है, उसके स्वामित्व का विवरण	
10	मदरसा भूमि का कुल क्षेत्रफल वर्गगज में	
11	निर्मित भाग का क्षेत्रफल वर्गगज में	
12	खाली भूमि का क्षेत्रफल वर्गगज में	
13	मदरसे का ब्लयू प्रिन्ट तथा जो निर्माण कार्य वर्तमान में करवाया जाना है उसकी माप सहित अलग रंग से दर्शाना है	
14	कार्यकारी ऐजेंसी की सहमति/तकमीना एवं तकनीकी रिपोर्ट संलग्न करे	
15	आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण	

घोषणा

हम शपथपूर्वक बयान करते है कि उपरोक्त समस्त तथ्य सही है एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि करते है।

सदर के हस्ताक्षर मय सील

सचिव के हस्ताक्षर मय सील

उक्त मदरसा "मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना" के अन्तर्गत लाभान्वित होने हेतु योग्य है। आवेदन पत्र को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अभिशंषा करता हूँ।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का नाम
पदनाम मय सील

Scanned by CamScanner